

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, तारीख 28 नवंबर, 2014

का. आ. 3014(अ). केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245ढ के खंड (ख) के उपखंड (ii)क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक वाले कुल मूल्य के एक या अधिक संव्यवहारों से उद्भूत होने वाले किसी कर दायित्व के संबंध में ऐसे निवासी को विनिर्दिष्ट करती है जिससे अधिनियम के अध्याय 19ख के प्रयोजनों के लिए आवेदक के रूप में व्यक्तियों के ऐसा वर्ग में होने के कारण उसका भार अपने ऊपर लिया है या लेने का प्रस्ताव किया है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

(अधिसूचना सं. 73/2014/ फा.सं.142/6/2014-टीपीएल)

(गौरव कनौजिया)

निदेशक, भारत सरकार